तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख के जारी हुये
22.04.25	पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उप.। अप्रार्थी सं. 3 से 14 को कक - रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि मौजा ग्राम झाखल के खेत खसरा नम्बर 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1496, 1496/1715, 1507, 1508, 1509, 1516, 1518, 1519, 1530, 491 जुमले रकबा 7.91 हेक्टेयर व ख.न. 514 रकबा 1.30 हेक्टेयर आराजी आयी हुई है। जिसमें प्रार्थीया का पुश्तैनी हक हकूक व कब्जा भी है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक की भूमि किसी अजनबी क्रेता को बेच्यान करने पर तुले है। अत: मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करमावे। अप्रार्थीगण [illegible] के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया के कथनों को नकारते हुये अप्रार्थीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:09:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुकम की त... के जारी हु...
	को परेशान करने की नियत से प्रार्थीया द्वारा ~~अंतरिम~~ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया कारवाई किया। हमने उभय पक्ष अधिवक्ता के बहस व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों मनन व अवलोकन किया। प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु प्रार्थीया के पक्ष में होने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। —: आदेश :— अतः प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा जाखत के ख.न. 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1496, 1496/1715, 1507, 1508, 1509, 1516, 1518, 1519, 1530, 491, 514 जुमले रकबा 9.11 है. में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) ...सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:09:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner